संख्या– / I I(02)–2019–04(06)/2019

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 18 अप्रैल, 2019**

विषयः– **जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के दांये तट पर बालावाली से खानपुर तटबन्ध, डुम्मनपुरी कलसिया ग्राम की बाढ़ सुरक्षा कार्य योजना की सैद्धान्तिक एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–275/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27 (नाबार्ड) दिनांक 18.01.2019 एवं पत्र संख्या 1231/प्र0अ0/बजट/बी–1(विविध), दिनांक 28.03.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के दांये तट पर बालावाली से खानपुर तटबन्ध, डुम्मनपुरी कलसिया ग्राम की बाढ़ सुरक्षा कार्य योजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत लागत रू0 568.06 लाख की सैद्धान्तिक एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है :–

(i) वर्तमान में "आदर्श चुनाव आचार संहिता" प्रभावी होने के दृष्टिगत इसका किसी प्रकार का प्रचार न किया जाए ताकि किसी को भी किसी प्रकार का राजनेतिक लाभ प्राप्त ना हो सके।

(ii) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला वास्तविक व्यय नाबार्ड से योजना की स्वीकृति के उपरांत किया जाएगा।

(iii) निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोध तकनीकी का प्रयोग किया जाए।

(iv) आवश्यकतानुसार भूगर्भ वेज्ञानिक/जियोलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाए।

(v) कार्य की गुणवता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का उत्तरदायित्व होगा।

(vi) कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(vii) उक्त कार्य में मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(viii) एन0एच0ए0आई0 को नदी का बहाव रोककर दायी ओर डायवर्ट करने से हुये नुकसान की भरपाई तथा तटबन्ध के पुनर्निर्माण में आने वाली लागत की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु तत्काल पत्र प्रेषित किया जाय।

(ix) परियोजना के अन्तर्गत तटबन्ध का निर्माण गंगा नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व नदी की Hydrology एवं Behaviour का भली–भांति अध्ययन कर लिया जाय।

(x) तटबन्ध निर्माण हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली मिट्टी की Classification का समय–समय पर परीक्षण अवश्य कराया जाय।

(xi) तटबन्ध का निर्माण 15 से0मी0 की लेयर में मिट्टी डालकर उसका भली–भांति Compaction कराते हुये एवं मानक घनत्व प्राप्त करने के बाद ही दूसरी लेयर डाली जाय।

(xii) तटबन्ध के निर्माण में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं मानकों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiii) **परियोजना** से आच्छादित क्षेत्र नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में **होने** के कारण संवेदनशील है। अतः निर्माण कार्य आगामी वर्षाकाल से पूर्व अवश्य पूर्ण करा लिया जाय, कोई भी कार्य नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अधूरा न छोड़ा जाय जिससे निर्माण कार्य को किसी प्रकार की क्षति की सम्भावना न रहें।

(xiv) आगणन में विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग की एस0ओ0आर0 की दरें ली गई हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयां तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है, ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समायोजन करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

व्यय वित्त समिति के संलग्न कार्यवृत्त में क्रमांक–7(7.1) से (7.7) निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा कन्टूर प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं विशिष्टिताओं पर काउन्टर साईन अवश्य किये जायें।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–16/XXVII(2)/2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–व्यय वित्त समति का कार्यवृत्त।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
अपर सचिव।

संख्या– 441 (1)/ II(02)–2019–04(06)/2019,तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून/हरिद्वार।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।

गोपनीय/केवल शासकीय उपयोगार्थ

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नाबार्ड वित्त पोषण के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के दाये तट पर बालावाली से खानपुर तटबन्ध के कि0मी0 0.50 से 2.500 कि0मी के मध्य डुम्मनपुरी, कलसिया ग्राम की बाढ सुरक्षा योजना हेतु आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27, फरवरी, 2019 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

(टी0ए0सी0, वित्त विभाग द्वारा योजना की परीक्षणोपरान्त परियोजना लागत रू0 531.84 लाख की धनराशि आंकलित की गयी है।)

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2019 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारी गण उपस्थित थेः–

1. डा0 भूपिन्दर कौर औलख, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री अमित सिंह नेगी, सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री भूपाल सिंह मनराल, सचिव (प्रभारी), नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
4. श्री अतुल कुमार गुप्ता, अपर सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री दिनेश चन्द्र, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. श्री ओमकार सिंह, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. श्री आर0के0 तिवारी, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. टी0ए0सी0, वित्त विभाग एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण।

1. **परियोजना प्रस्ताव :–**

1.1. नाबार्ड वित्त पोषण के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के दाये तट पर बालावाली से खानपुर तटबन्ध के कि0मी0 0.50 से 2.500 कि0मी के मध्य डुम्मनपुरी, कलसिया ग्राम की बाढ सुरक्षा योजना का कार्य प्रस्तावित है।

1.2. योजना में निम्न कार्य प्रस्तावित किये गये है :–

i. बालावाली रेलवे पुल के Downstream से 200 मीटर दूरी पर 100 मीटर लम्बाई के स्पर का निर्माण।

ii. तटबन्ध के चैनेज 1500, 1800, 2100 पर 100 मीटर लम्बाई के बोल्डर वायरक्रेट स्पर (100 x 9.0 x 6.0 m) एवं 30 मीटर लम्बाई के दो स्परों का निर्माण।

iii. 1800–2200 मीटर तक नदी की ओर क्षतिग्रस्त तटबन्ध की 50 प्रतिशत Clay Soil स्थानीय मिट्टी के साथ पुनस्थापित करना।

iv. तटबन्ध के रीच 1800–2100 मीटर तक टो में डबल लेयर के वायरक्रेट Apran का निर्माण।

v. बन्धें के रिवर साइड स्लोप को बचाने हेतु स्लोप में बोल्डर पिचिंग का कार्य।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

2. **परियोजना प्रस्ताव की आवश्यकता एवं औचित्य** :– जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड खानपुर गंगा नदी के दाये किनारे पर मन्सूरपुर उर्फ कपूरो, रघुनाथपुर उर्फ बालावाली, ग्राम कलसिया, कुन्दनपुर आदि ग्रामों की लगभग 12,360 आबादी एवं 4,344 हैक्टेयर भूमि को गंगा नदी की बाढ से सुरक्षा हेतु वर्ष 2015 में 8.125 कि0मी0 लम्बें तटबन्ध का निर्माण किया गया था। वर्ष 2018–19 माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर में नदी की तीव्र धारा एवं बाढ से बन्धे को 2500 मीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त कर दिया तथा 600 हैक्टेयर कृषि भूमि की फसल नष्ट हो गयी। उक्त बचाव हेतु इसी स्थल पर तटबन्ध के पुनर्स्थापना कार्य कराये जाने आगामी वर्षाकाल से पूर्व अत्यन्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उक्त परियोजना गठित की गयी है।

3. **भूमि की उपलब्धता** :– तटबन्ध निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। नाप भूमि के सम्बन्ध में भूस्वामी आपसी सहमति से भूमि देने को सहमत है।

4. **निर्माण दरें** :– आगणन में दरें लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत एस0ओ0आर 2018–19 दिनांक 01.05.2018 से प्रचलित दरें ली गयी है।

5. **लागत का सारांश** :– लागत का सारांश निम्नवत् है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Item	T.A.C. द्वारा परिक्षित लागत	राज्य योजना आयोग द्वारा परिक्षित लागत
1	तटबन्ध निर्माण हेतु मिट्टी का कार्य, वायरक्रेट एप्रेन, स्परों का निर्माण, तटबन्ध के स्लोप में बोल्डर पिचिंग का कार्य तथा डायवर्जन हेतु खाली कटटों में मिट्टी भर कर लगाने के कार्य की लागत	498.30	498.30
	कन्टिनजेन्सी 2 प्रतिशत	9.97	9.97
	जी0एस0टी0 12 प्रतिशत	59.79	59.79
	योग	**568.06**	**568.06**
		568.06 Lakh	

5.1 उपरोक्तानुसार नाबार्ड वित्त पोषण के अधीन जनपद हरिद्वार में खानपुर विकासखण्ड में गंगा नदी के दाये तट पर बालावाली से खानपुर तटबन्ध कि0मी0 0.500 से 2.50 कि0मी0 के मध्य बाढ सुरक्षा कार्यो की योजना आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण है। परियोजना प्रस्ताव लागत रू0 568.06 लाख आंकलित की गयी है।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

6. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमतः—**

6.1 कार्य का नाम — नाबार्ड वित्त पोषण के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के दाये तट पर बालावाली से खानपुर तटबन्ध के कि0मी0 0.50 से 2.500 कि0मी के मध्य डुम्मनपुरी, कलसिया ग्राम की बाढ़ सुरक्षा योजना का कार्य।

6.2 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18.01.2019 को सम्पन्न हुई जिसमें कार्य की स्वीकृति पर अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रस्ताव व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

6.3 टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त योजना की लागत रू0 531.84 लाख आंकी गयी है लेकिन टी0ए0सी0, वित्त द्वारा तटबन्ध के निर्माण हेतु 01 कि0मी0 से अधिक दूरी से मिट्टी ढुलान की दरें जो कि एस0ओ0आर0 में रू0 411.20 प्रति घन मीटर है के स्थान पर रू0 53.40 प्रति घन मीटर करते हुए रू0 31.77 लाख लागत कम कर दी गयी है जो कि उचित नहीं है। तटबन्ध निर्माण हेतु मिट्टी की दरें एक कि0मी0 से अधिक दूरी की लीड से Transport करने हेतु रू0 411.20 प्रति घन मीटर एस0ओ0आर0 की दरों के अनुसार उचित ली गयी है। अतः टी0ए0सी0, वित्त द्वारा की गयी कटौती सही नहीं है। योजना की परिक्षित लागत रू0 568.06 लाख है।

6.4 योजना सिंचाई विभाग की प्रदेश स्तरीय, उच्चाधिकार प्राप्त, राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की 32 वीं बैठक दिनांक 22.05.2018 के क्रमांक 30 पर अनुमोदित की गयी है।

6.5 परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य गंगा बाढ नियन्त्रण आयोग, पटना द्वारा प्रदत्त दिशा—निर्देशों के अनुसार लिये गये है।

6.6 योजना निर्माण से क्षेत्र की लगभग 12,360 आबादी एवं 4,344 हैक्टेयर भूमि को गंगा नदी की बाढ़ के कटाव से सुरक्षा हो सकेगी।

6.7 योजना का निर्माण आगामी वर्षाकाल से पूर्व किया जाना व्यापक जनहित में है। योजना का लाभ लागत अनुपात 1:63:1 है।

7. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :—**

प्रश्नगत बाढ सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति ने विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर—5 में अंकित सारांश में उल्लिखित लागत रू0 568.06 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया :—

7.1 **विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया कि राज्यमार्ग संख्या—26 में बालावाली के पास गंगा नदी में एन0एच0ए0आई द्वारा निर्माणाधीन सेतु के पियर्स के पास बायी ओर का वाटर—वे बन्द कर देने से गंगा नदी का**

क्रमशः पृष्ठ—4/—

बहाव दायी ओर हो गया, फलस्वरूप क्षेत्र की लगभग 500 हैक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई तथा पूर्व निर्मित तटबन्ध में क्षति हुई है जिसकी पुनस्थापना हेतु उक्त प्रस्ताव लागत रू0 568.06 लाख तैयार किया गया है। निर्देश दिये गये कि चेयरमैन, एन0एच0ए0आई0 को नदी का बहाव रोककर दायी ओर डायवर्ट करने से हुये नुकसान की भरपाई तथा तटबन्ध के पुनर्निर्माण में आने वाली लागत की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु तत्काल पत्र प्रेषित किया जाय।

7.2 परियोजना के अन्तर्गत तटबन्ध का निर्माण गंगा नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व नदी की Hydrology एवं Behaviour का भली–भांति अध्ययन कर लिया जाय।

7.3 तटबन्ध निर्माण हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली मिट्टी की Classification का समय–समय पर परीक्षण अवश्य कराया जाय।

7.4 तटबन्ध का निर्माण 15 से0मी0 की लेयर में मिट्टी डालकर उसका भली–भांति Compaction कराते हुये एवं मानक घनत्व प्राप्त करने के बाद ही दूसरी लेयर डाली जाय।

7.5 तटबन्ध के निर्माण में गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं मानकों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7.6 परियोजना से आच्छादित क्षेत्र नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण संवेदनशील है। अतः निर्माण कार्य आगामी वर्षाकाल से पूर्व अवश्य पूर्ण करा लिया जाय, कोई भी कार्य नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अधूरा न छोडा जाय जिससे निर्माण कार्य को किसी प्रकार की क्षति की सम्भावना न रहें।

7.7 आगणन में विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग की एस0ओ0आर0 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयां तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है, ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से

क्रमशः पृष्ठ–5/–

यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समायोजन करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 7.1–7.7 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा कन्टूर–प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंव विशिष्टियों पर काउण्टर साइन अवश्य किये जाये। **उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।**

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 317/354/रा0यो0आ0/2019
देहरादूनः दिनांकः 28 फरवरी, 2019

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. टी0ए0सी0, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. एक प्रति गार्ड फाइल हेतु।

(भूपाल सिंह मनराल)
सचिव (प्रभारी)